

न्यायालय तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनुं (राज0)

मुकदमा किस्म मुकदमा रज्जु दिनांक निर्णय दिनांक
154/2019 धारा 91 एल.आर.एक्ट 19.11.2019 04.09.2020

उनवान सरकार बनाम कैलासचन्द पुत्र अमरसिंह जाति नायक निवासी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनुं (राज0)

:- निर्णय :-

पत्रावली आज पेश हुयी। अतिक्रमी अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है। पटवारी हल्का बुहाना ने सम्बत 2076 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि ग्राम बुहाना की राजकीय भूमि ख0 न0 3176/2321 किस्म गै0 भू0 बणी कुल रकबा 108.2414 है0 में से 0.048 है0 पर अतिक्रमी कैलासचन्द पुत्र अमरसिंह जाति नायक निवासी बुहाना ने अवैध रूप से टीनशैड का निर्माण कर अवैध रूप से अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया गया है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अतिक्रमी अनुपस्थित। अतिक्रमी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/सबुत का गहनता से मनन किया गया। अतिक्रमी द्वारा किया गया अतिक्रमण जो काबिल नियमन नहीं है। ना ही नियमों के अनुरूप है। अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि में टीनशैड का निर्माण कर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमण किये जाने के फलस्वरूप अतिक्रमी घोषित किया जाता है व जैर बहस रिपोर्ट पटवारी पर से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

अतिक्रमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये अवैध रूप से टीनशैड का निर्माण कर अतिक्रमण किये जाने के दण्ड स्वरूप शरह लगान 4.20/- का अतिक्रमण शुदा भूमि लगान 0.16 की 50 गुणा जुर्माना राशि 8/- बतौर शारित कायम किये जाते हैं।

तहसील राजस्व लेखाकार/भू0 अ0 निरीक्षक/पटवारी हल्का को वास्तु जमा कायमी/बेदखली/वसूली हेतु लिखा जावे। भू0 अ0 निरीक्षक को राजकीय भूमि से अतिक्रमीत भूमि से वास्तविक रूप से बेदखल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील तामील दाखिल दपतर हो तथा नम्बर शुमार से कम होकर दर्ज फैसला हो।

निर्णय आज दिनांक 04.09.2020 को खुले न्यायालय सुनाया में सुनाया गया।

(मांगेसाम पूनिया)
तहसीलदार बुहाना

दि. सं. 4 वर्ष 2020-21 कं.पू.सं. 75-
र. 8/- की प्रांग कायम की गई।

Suman
तहसील राजस्व लेखाकार
तहसील बुहाना